**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 589**

**जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है**

**कोयले के आयात में कमी**

**589. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:**

**श्री बी. मणिक्कम टैगोर:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला आयात में गिरावट पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या कोयला आयात में कमी से विद्युत उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो मांग-आपूर्ति संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या घरेलू कोयला उत्पादन ताप संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा घरेलू कोयला आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कोयले की कमी के कारण किसी ताप विद्युत संयंत्र को बंद करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने अधिकतम विद्युत मांग की स्थिति में कम आयात के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उक्त कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कोयला और खान राज्य मंत्री**

**(श्री सतीश चन्द्र दुबे)**

**(क) :** पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विद्युत संयंत्रों द्वारा आयात किया गया कोयला निम्नानुसार है -

*(मिलियन टन में)*

| अवधि | घरेलू कोयला आधारित संयंत्र (डीसीबी) | आयातित कोयला आधारित संयंत्र (आईसीबी) | विद्युत संयंत्रों द्वारा आयात किया गया कुल कोयला |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 23.9 | 41.8 | 65.7 |
| 2024-25 | 14.0 | 48.5 | 62.5 |
| 2025-26 | 6.8 | 38.6 | 45.4 |

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात वर्ष 2023-24 में 65.7 मिलियन टन से घटकर वर्ष 2025-26 में 45.4 मिलियन टन हो गया, जिससे इस अवधि के दौरान कोयले के आयात में 30.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं -

i. विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों वाला एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह, ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की नाजुक स्थिति से निपटने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने हेतु नियमित रूप से बैठक करता है।

ii. विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी के लिए सचिव (विद्युत), सचिव (कोयला) और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वाली अंतर-मंत्रालयी सचिव स्तरीय बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

**(ख) और (ङ) :** पिछले तीन वर्षों और वित्तीय वर्ष 2026-27 (जून तक) के दौरान अपेक्षित विद्युत, आपूर्ति की गई विद्युत और इनके अंतर का विवरण नीचे दिया गया है:

*(मिलियन यूनिट में)*

| **वित्तीय वर्ष** | **अपेक्षित विद्युत** | **आपूर्ति की गई विद्युत** | **विद्युत आपूर्ति का अंतर** |
|---|---|---|---|
| | **(एमयू)** | **(एमयू)** | **(%)** |
| 2023-24 | 16,26,132 | 16,22,020 | 0.3 |
| 2024-25 | 16,93,959 | 16,92,369 | 0.1 |
| 2025-26 | 17,07,493 | 17,06,985 | 0.0 |
| 2026-27 (जून, 2026 तक)* | 4,83,117 | 4,82,435 | 0.1 |

*(*जून 2026 माह के आंकड़े अनंतिम हैं।)*

यह नोट किया जा सकता है कि आपूर्ति की जाने वाली विद्युत व्यापक रूप से देश की विद्युत आवश्यकता के अनुरूप रही है और कोयले के आयात में कमी से विद्युत उत्पादन क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

देश भर में निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं -

i. केन्द्र सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।
ii. आनुपातिक क्षमता संवर्धन को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी करना।
iii. जल विद्युत आधारित उत्पादन को इस प्रकार निर्धारित किया जा रहा है कि व्यस्ततम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जल का संरक्षण किया जा सके।
iv. एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) और अन्य विद्युत उत्पादकों के गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों से ज्यादा मांग वाले समय में आपूर्ति करना नियत किया गया है।
v. जेनको (विद्युत उत्पादन कंपनियों) को नियोजित रखरखाव या बल पूर्वक आउटेज की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर पूर्ण उपलब्धता का उत्पादन और रखरखाव करने की सलाह दी गई है।
vi. उच्च मांग की अवधि के दौरान उत्पादन इकाईयों के नियोजित रखरखाव को न्यूनतम किया जा रहा है।

**(ग) :** देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी कोयला उत्पादन के माध्यम से पूरी की जाती है। कोयले के आवश्यक ग्रेड जैसे कोकिंग कोयला (इस्पात उद्योग द्वारा) और उच्च ग्रेड वाले गैर-कोकिंग कोयला के मामले में कोयले के आयात का सहारा लिया जाता है क्योंकि दुर्लभ भंडार या अनुलब्धता के कारण उनका घरेलू उत्पादन सीमित है।

विद्युत संयंत्र मुख्य रूप से (i) आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता के कारण कोयले का आयात करते हैं, जिन्हें विशेष रूप से आयातित कोयले का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और (ii) घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) विद्युत संयंत्रों द्वारा सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कायले का आयात करते हैं।

सरकार का ध्यान देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर है। वर्ष 2024-25 में अखिल भारतीय घरेलू कोयला उत्पादन वर्ष 2023-24 में 997.83 मि.ट. की तुलना में लगभग 5% की वृद्धि के साथ 1047.67 मिलियन टन (मि.ट.) रहा

था। वित्त वर्ष 2025-26 में, देश ने 1040.08 मि.ट. (अनंतिम) कोयले का उत्पादन किया है। इस प्रकार, घरेलू कोयला उत्पादन ने लगातार दो वर्षों में 1 बिलियन टन को पार कर लिया है।

**(घ) :** जी, नहीं। देश के विद्युत संयंत्रों में कोयले की कोई कमी नहीं है। देश में घरेलू कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयले का भंडार खपत की वर्तमान दर पर लगभग 14 दिनों के लिए इन संयंत्रों को 85% पीएलएफ (प्लांट लोड फैक्टर) पर चलाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, दिनांक 31.03.2026 तक सीआईएल और अन्य की खान में लगभग 151.96 मिलियन टन (मि.ट.) कोयला भंडार उपलब्ध था।

*****